TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART-II SECTION 3, SUB-SECTION (ii)

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue

New Delhi, the 19th March '99

NOTIFICATION

S.O. (E) - In exercise of the powers conferred by item(h) of sub-clause (iv) of clause (15) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies 7 years 8.75% per annum (Tax-free) Rural Electrification Corporation Bonds-2004 (XXXIII Series) bearing distinctive numbers:

i) from 500001 to 500550 of Rs. 1,00,000/- each for an amount of Rs. 5,50,00,000/- (Rupees five crores fifty lakhs only); and

ii) from 600001 to 600389 of Rs.50,00,000/- each for an amount of Rs. 194,50,00,000/- (Rupees one hundred ninety four crores and fifty lakhs only)

aggregating to an amount of rupees two hundred crores only issued by Rural Electrification Corporation Limited for the purpose of the said item:

Provided that the benefit under the said item shall be admissible only if the holder of such bonds registers his/her name and the holding with the said Corporation.

Notification No. 10823

(SAMAR BHADRA)
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA

(F.No. 178/4/98-ITA-I)

To

The Manager,

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 9-3-99

अधिसूचना

का0आ0 (अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (15) के उपखण्ड (iv) की मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि0 द्वारा जारी किए गए दो सौ करोड़ रूपये की कुल धनराशि के 7 वर्षीय, 8.75% प्रति वर्ष (कर मुक्त) रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन बाण्डों-2004 (xxx (ii) श्रृंखला), जिनकी विशिष्ट संख्या निम्नानुसार है, को उक्त मद के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करती है :

(i) 5,50,00,000/-रू0 (केवल पांच करोड़ पचास लाख रूपये) की धनराशि के प्रत्येक 1,00,000/-रू0 जिनकी विशिष्ट संख्या 500001 से 500550 तक हैं ।

(ii) 1,94,50,00,000/-रूपये (केवल एक सौ चौरानवे करोड़ और पचास लाख रू0) की धनराशि के प्रत्येक 50,00,000/-रू0 जिनकी विशिष्ट संख्या 600001 से 600389 तक है ।

बशर्ते कि उक्त मद के अन्तर्गत लाभ तभी ग्राह्य होगा यदि ऐसे बन्धपत्रों का धारक अपना नाम और सम्पत्ति उक्त निगम के पास पंजीकृत कर देता है ।

अधिसूचना सं0...10823...

समर भद्र
(समर भद्र)
अवर सचिव, भारत सरकार

(फा.सं. 178/9/98-आयकर नि.I)

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
नई दिल्ली.